राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड

69वीं बैठक दिनांक 14 जून, 2019 के कार्य बिन्दुओं से संबंधित कृत कार्यवाही

क्र.सं	कार्य बिंदु	कृत कार्यवाही
1.	**शासन से संबंधित कार्य बिंदु :** **(क)** अपर मुख्य सचिव (कार्मिक, महिला सशक्तिकरण, बाल विकास एवं अन्य विभाग) उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में पिरुल नीति के अंतर्गत बैंकयोग्य योजना बनाए जाने हेतु उरेडा, एम.एस.एम.ई. विभाग एवं बैंकों के साथ बैठक आयोजित की जानी है। **(कार्यवाही - उरेडा विभाग)**	**शासन से संबंधित कार्य बिंदु :** **(क)** उत्तराखंड सरकार द्वारा **पिरुल नीति** घोषित की गयी है, जिसके अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्रों में पिरुल का संग्रहण कर विद्युत उत्पादन एवं ब्रिकेटिंग इकाई हेतु इसका उपयोग किया जा सकता है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 69वीं बैठक दिनांक 14 जून, 2019 में दिए गए निर्देशानुसार पिरुल नीति के अंतर्गत वित्तपोषण किए जाने हेतु राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, प्रशासनिक कार्यालय, सभागार कक्ष, देहरादून में दिनांक 02 जुलाई, 2019 को बैठक आयोजित की गयी। इस बैठक में अपर सचिव (ऊर्जा), उत्तराखंड शासन, मुख्य परियोजना अधिकारी, उरेडा, संयुक्त निदेशक, उद्योग विभाग तथा प्रेदश के प्रमुख बैंकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक में विचार-विमर्श के पश्चात यह सहमति बनी की सभी बैंकों अपने निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुरूप उद्यमियों को आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर वित्तपोषित करते हुए **CGTMSE** (उत्तराखंड ग्रामीण बैंक तथा सहकारी बैंक को छोड़कर) द्वारा कवर करेंगे।
	(ख) उत्तराखंड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक 2016 में केंद्र सरकार के मॉडल भूमि पर अधिनियम ड्राफ्ट के अनुरुप दिए गए बिंदुओं को समाहित किए जाने संबंधी अभिस्वीकृति राजस्व विभाग द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को उपलब्ध करायी जानी है। **(कार्यवाही : राजस्व विभाग)**	**(ख)** उत्तराखंड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक 2016 में केंद्र सरकार के मॉडल भूमि पर अधिनियम ड्राफ्ट के अनुरुप दिए गए बिंदुओं को समाहित किए जाने संबंधी अभिस्वीकृति राजस्व विभाग द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को उपलब्ध करायी जानी प्रतीक्षित है। इस संबंध में दिनांक 15 जून, 2019 एवं 02 अगस्त, 2019 को अनुरोध पत्र पुन: विभाग को प्रेषित किया गया है।
	(ग) कृषि विभाग राज्य के परिप्रेक्ष्य में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित नियम एवं अधिनियम मण्डी समिति से प्राप्त कर भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून को उपलब्ध कराएंगे।	**(ग)** कृषि विभाग राज्य के परिप्रेक्ष्य में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित नियम एवं अधिनियम मण्डी समिति-द्वारा उपलब्ध कराया जाना प्रतीक्षित है। इस संबंध में कृषि विभाग को दिनांक 24 जुलाई,

	(कार्यवाही : कृषि विभाग)	2019 को अनुस्मारक प्रेषित किया गया है एवं पत्र की प्रतिलिपि सचिव (कृषि), उत्तराखंड शासन को भी प्रेषित की गयी है।
	(घ) कृषि क्षेत्र में आबंटित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कृषि गतिविधियों में संबंधित विभाग ऋण आवेदन पत्र **source** कर बैंकों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। **(कार्यवाही - कृषि विभाग/ उद्यान विभाग)**	**(घ)** संबंधित विभाग द्वारा कृषि क्षेत्र में आबंटित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु ऋण आवेदन पत्र **source** कर बैंकों को उपलब्ध कराए जाने विषयक कोई सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है। कृषि विभाग को इस विषयक अनुस्मारक दिनांक 24 जुलाई, 2019 को प्रेषित किया गया है।
	(ङ) यू.एस.आर.एल.एम. विभाग योजनांतर्गत वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, ऋण आवेदन पत्र की जाँच करने के उपरांत समय पर बैंकों को प्रेषित करें तथा प्रगति की प्रभावी निगरानी हेतु पोर्टल बनाएं। **(कार्यवाही - यू.एस.आर.एल.एम. विभाग)**	**(ङ)** यू.एस.आर.एल.एम. विभाग द्वारा योजनांतर्गत वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष जून, 2019 त्रैमास में **2164** ऋण आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित किए गए हैं तथा प्रगति की प्रभावी निगरानी हेतु पोर्टल बनाया जाना प्रक्रियाधीन है।
	(च) पर्यटन विभाग वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजनांतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विशेषकर गैर-वाहन मद के अंतर्गत शामिल 11 नई गतिविधियों से संबंधित पात्र ऋण आवेदन पत्र **source** कर बैंकों को वित्तपोषण हेतु समय पर प्रेषित करेंगे। **(कार्यवाही - पर्यटन विभाग)**	**(च)** पर्यटन विभाग द्वारा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजनांतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विशेषकर गैर-वाहन मद के अंतर्गत शामिल 11 नई गतिविधियों से संबंधित पात्र ऋण आवेदन पत्रों की **sourcing** के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इस विषयक दिनांक 24 जुलाई, 2019 को विभाग को अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया गया है।
	(छ - i) राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 68वीं बैठक दिनांक 25 फरवरी, 2019 के एजेण्डा संख्या - 3 (vi) (5) के संदर्भ में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड के पत्र संख्या प्रशा.का./एस.एल.बी.सी./13 दिनांक 08 अप्रैल, 2019 द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पर्यटन विकास परिषद से होम स्टे विकास योजना (प्रथम संशोधन) नियमावली 2018 के बिंदु संख्या - 1 के संदर्भ में वर्णित संशोधन (भू-उपयोग परिवर्तन) के विषय में वांछित स्पष्टीकरण लम्बित है। **(कार्यवाही - पर्यटन विभाग)**	**(छ - i)** मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पर्यटन विकास परिषद से होम स्टे विकास योजना (प्रथम संशोधन) नियमावली 2018 के बिंदु संख्या - 1 के संदर्भ में वर्णित संशोधन (भू-उपयोग परिवर्तन) के विषय में वांछित स्पष्टीकरण हेतु राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड के पत्र संख्या प्रशा.का./एस.एल.बी.सी./248 दिनांक 01 जुलाई, 2019 के संबंध में उत्तर अपेक्षित है। इस विषयक दिनांक 24 जुलाई, 2019 को विभाग को अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया गया है।
	(छ - ii) दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास योजनांतर्गत बड़े ऋण राशि के ऋण प्रस्ताव के स्थान पर छोटी राशि के ऋण प्रस्ताव संबंधित विभाग जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स कमेटी (DLTFC) द्वारा बैंकों को प्रेषित किए जाएं जिससे आर्थिक व्यवहार्यता बनी रहे।	**(छ - ii)** संबंधित विभाग, जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स कमेटी (DLTFC) द्वारा दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास योजनांतर्गत बड़े ऋण राशि के ऋण प्रस्ताव के स्थान पर छोटी राशि के ऋण प्रस्ताव बैंकों को प्रेषित किए जाने के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

	(कार्यवाही - पर्यटन विभाग)	
	(ज) बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग योजनांतर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समय पर पात्र ऋण आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित करें तथा प्रगति की निगरानी हेतु पोर्टल बनाएं। **(कार्यवाही - बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)**	**(ज)** बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग योजनांतर्गत लक्ष्यों के सापेक्ष **218** ऋण आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित किए गए हैं। विभाग द्वारा पोर्टल बनाए जाने विषयक सूचना प्रतीक्षित है।
	(झ) आरसेटी संस्थानों के बी.पी.एल. प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण पर मार्च, 2019 तक व्यय की गयी लम्बित राशि **₹ 98.72 लाख** की प्रतिपूर्ति संबंधित आरसेटी संस्थानों को किया जाना ग्राम्य विकास विभाग से अपेक्षित है। **(कार्यवाही : ग्राम्य विकास विभाग)**	**(झ)** आरसेटी संस्थानों के बी.पी.एल. प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण पर मार्च, 2019 तक व्यय की गयी लम्बित राशि **₹ 98.72 लाख** की प्रतिपूर्ति के संबंध में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा सूचित किया जाना प्रतीक्षित है।
	(ञ) कृषि क्षेत्र में ऋण वितरण की अपेक्षित प्रगति दर्ज करने हेतु उद्यान, कृषि एवं पशुपालन विभाग द्वारा क्षेत्रवार व्यवहार्य कार्ययोजना बनाकर बैंकों को उपलब्ध करायी जानी है। **(कार्यवाही : उद्यान, कृषि एवं पशुपालन विभाग)**	**(ञ)** कृषि क्षेत्र में ऋण वितरण की अपेक्षित प्रगति दर्ज करने हेतु उद्यान, कृषि एवं पशुपालन विभाग द्वारा क्षेत्रवार व्यवहार्य कार्ययोजनाओं बनाया जाना प्रतीक्षित है। इस संबंध में विभाग को दिनांक 24 जुलाई, 2019 को अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया गया है।
	(त) एन.यू.एल.एम., एन.आर.एल.एम. एवं पर्यटन विभाग से संबंधित सरकारी ऋण योजनाओं की प्रगति की रिपोर्टिंग एवं अनुवर्ती कार्यवाही हेतु संबंधित विभागों द्वारा ऑन-लाइन पोर्टल बनाया जाना अपेक्षित है। **(कार्यवाही : एन.यू.एल.एम., एन.आर.एल.एम. एवं पर्यटन विभाग)**	**(त)** एन.यू.एल.एम., एन.आर.एल.एम. एवं पर्यटन विभाग से संबंधित सरकारी ऋण योजनाओं की प्रगति की रिपोर्टिंग एवं अनुवर्ती कार्यवाही हेतु संबंधित विभागों द्वारा ऑन-लाइन पोर्टल तैयार होने विषयक सूचना प्रतीक्षित है।
	(थ) सरकार प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनाएं यथा एन.आर.एल.एम. / वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना / होम स्टे / स्पेशल कम्पोनेंट प्लान आदि में वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष संबंधित विभाग पर्याप्त ऋण आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित करें। **(कार्यवाही : (ग्राम्य विकास विभाग / पर्यटन विभाग / समाज कल्याण विभाग)**	**(थ)** संबंधित विभागों द्वारा जून, 2019 त्रैमास में निम्नवत ऋण आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित किए गए हैं : **योजना** / **लक्ष्य** / **प्रेषित ऋण पत्रों की संख्या** **एन.आर.एल.एम.** / 7610 / 2164 वी.सी.पी.एस.वाई. / वाहन - 147 / 15 गैर-वाहन - 153 / 29 होम स्टे / -- / 94 एस.सी. - 1459 / 166

<table>
<tr>
<td></td>
<td>

(द) सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं में एन.पी.ए. को कम करने हेतु, एन.पी.ए. खातों में वसूली हेतु संबंधित विभाग बैंकों का सहयोग करें।

(कार्यवाही : संबंधित विभाग)

(ध) बैंक द्वारा गोल्ड मॉनिटाइजेशन योजना में धार्मिक संस्थानों / समितियों का सहयोग व सहभागिता के लिए सचिव, धर्मस्व, उत्तराखंड शासन स्तर पर बैठक, जो कि अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गयी थी, की तिथि पुन: निश्चित की जानी अपेक्षित है ताकि योजना से संबंधित प्रस्तुतीकरण किया जाना है।

(कार्यवाही - धर्मस्व विभाग)
</td>
<td>
<table>
<tr><td rowspan="2">एस.सी.पी.</td><td>एस.टी. - 100</td><td>43</td></tr>
<tr><td>अल्पसंख्यक - 225</td><td>09</td></tr>
</table>

(द) सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं में एन.पी.ए. खातों में वसूली हेतु ग्राम्य विकास विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों का सहयोग प्रतीक्षित है।

(ध) बैंक द्वारा गोल्ड मॉनिटाइजेशन योजना में धार्मिक संस्थानों / समितियों का सहयोग व सहभागिता के लिए सचिव, धर्मस्व, उत्तराखंड शासन स्तर पर PPT हेतु बैठक का आयोजन की तिथि अभी प्रतीक्षित है।
</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>

भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित कार्य बिंदु :

340 लम्बित एस.एस.ए. में से 132 स्थानों पर इण्डियन पोस्ट बैंक द्वारा बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के कारण, इन स्थानों को बैंकिंग सुविधाओं से संतृप्त माने जाने की स्थिति का नियमानुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्णय लिया जाना है।
</td>
<td>

भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित कार्य बिंदु :

भारतीय रिजर्व बैंक, देहरादून द्वारा अपने ई.-मेल दिनांक 22 जुलाई, 2019 को अवगत कराया है कि संबंधित विषय पर निर्णय वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लिया जाना है।
</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>

बैंकों से संबंधित कार्य बिंदु :

(क) चयनित 2149 क्लस्टर / एस.एस.ए. में से लम्बित 340 एस.एस.ए. में बी.सी. / सी.एस.पी. की नियुक्ति निम्न बैंकों द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की आगामी बैठक से पूर्व किया जाना है।

भारतीय स्टेट बैंक - 247, पंजाब नेशनल बैंक - 56, बैंक ऑफ बडौदा - 13, नैनीताल बैंक - 07, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक - 01, कॉरपोरेशन बैंक - 07, बैंक ऑफ इण्डिया - 04, पंजाब एण्ड सिंध बैंक - 02, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया - 01, इलाहाबाद बैंक - 01 एवं बैंक ऑफ महाराष्ट्र - 01
</td>
<td>

बैंकों से संबंधित कार्य बिंदु :

(क) चयनित 2149 क्लस्टर / एस.एस.ए. में से लम्बित 325 एस.एस.ए. में जून, 2019 तक बी.सी. / सी.एस.पी. की नियुक्ति 05 किलोमीटर की परिधि के अनुरुप बैंक शाखाओं व सी.एस.पी. के माध्यम से कवर करते हुए अद्यतन स्थिति निम्नवत है।

<table>
<tr><th>बैंक</th><th>लम्बित</th><th>नियुक्त बी.सी./सी.एस.पी. की संख्या</th><th>वर्तमान लम्बित स्थिति</th></tr>
<tr><td>एस.बी.आई</td><td>247</td><td>47</td><td>200</td></tr>
<tr><td>पी.एन.बी</td><td>56</td><td>19</td><td>37</td></tr>
<tr><td>बी.ओ.बी.</td><td>13</td><td>8</td><td>5</td></tr>
<tr><td>नैनीताल बैंक</td><td>07</td><td>4</td><td>3</td></tr>
<tr><td>यू.जी.बी.</td><td>01</td><td>1</td><td>0</td></tr>
<tr><td>कॉरपोरेशन बैंक</td><td>07</td><td>7</td><td>0</td></tr>
<tr><td>बी.ओ.आई.</td><td>04</td><td>3</td><td>1</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

पी. एण्ड एस.बी.	02	1	1
यूनियन बैंक	01	1	0
इलाहाबाद बैंक	01	1	0
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	01	1	0

***जिला टिहरी में हिण्डोलाखाल एस.एस.ए. बैंक ऑफ इण्डिया से पंजाब नेशनल बैंक को आबंटित कर दिया गया है।**

ख) उद्योग निदेशालय एम.एस.एम.ई. पॉलिसी के तहत महिला उद्यमियों को देय अनुदान राशि का उपयोग करते हुए बैंक स्टैण्ड-अप इण्डिया के तहत लाभान्वित करेंगे।

(ख) स्टैण्ड - अप इण्डिया के अंतर्गत जून, 2019 तक **39** महिला उद्यमियों को लाभान्वित किया जाना बैंकों द्वारा सूचित किया गया है।।

(ग) सभी कृषि ऋण खातों को अनिवार्य रुप से बीमित करने के उपरांत, डाटा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

(ग) बैंकों द्वारा **61,470** कृषि ऋण खातों को बीमित तथा **52,794** खातों का डाटा पोर्टल पर अपलोड किया जाना सूचित किया गया है।

(**घ)** स्वयं सहायता समूहों के आर्थिक सुदृढ़िकरण हेतु राज्य सरकार की "राज्य ब्याज उपादान योजना" के अंतर्गत बैंक खाते वाले एन.पी.ए. तथा सक्रिय स्वयं सहायता समूहों को लाभान्वित करने हेतु सूची / सूचना संबंधित विभाग को प्रेषित करेंगे।

(**घ)** स्वयं सहायता समूहों के आर्थिक सुदृढ़िकरण हेतु राज्य सरकार की "राज्य ब्याज उपादान योजना" के अंतर्गत एन.पी.ए. बैंक खाते वाले तथा सक्रिय स्वयं सहायता समूहों की सूची बैंकों द्वारा संबंधित विभाग को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। इस विषयक पुष्टि प्रतीक्षित है।

(ङ) संबंधित बैंकों द्वारा निम्नानुसार लम्बित वी.-सैट आगामी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की बैठक तक स्थापित किए जाने हैं।

बैंक	**वी.-सैट स्थापित किए जाने वाले अवशेष एस.एस.ए. की संख्या**
भारतीय स्टेट बैंक	34
बैंक ऑफ बड़ौदा	02
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	01
बैंक ऑफ इण्डिया	02
कुल	**39**

(ङ) वी.सैट स्थापित किए जाने वाले एस.एस.ए. की वर्तमान में लम्बित स्थिति निम्नानुसार है।

बैंक	**वी.-सैट स्थापित किए जाने वाले अवशेष एस.एस.ए. की संख्या**
भारतीय स्टेट बैंक	**18**
बैंक ऑफ बड़ौदा	**02**
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	**00**
बैंक ऑफ इण्डिया	**00**
कुल	**20**

	(च) वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार उत्तराखंड राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए निर्धारित लक्ष्य व इसके सापेक्ष प्रगति रिपोर्ट सभी बैंक आगामी जून, 2019 त्रैमास से राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को रिपोर्ट करेंगे।	**(च)** वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार उत्तराखंड राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जून, 2019 तक **5,277** ऋण आवेदन पत्रों को स्वीकृत कर ₹ **305.83 करोड़** के ऋण वितरित किए गए हैं।
	(छ) भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार नेगोशिएबल वेयरहाऊस रसीद के विरुद्ध दिए जाने वाले ऋण संबंधी प्रगति रिपोर्ट सभी बैंक आगामी जून, 2019 त्रैमास से राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को रिपोर्ट करेंगे।	**(छ)** नेगोशिएबल वेयरहाऊस रसीद के विरुद्ध दिए जाने वाले ऋण संबंधी प्रगति रिपोर्ट आगामी जून, 2019 त्रैमास से राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को रिपोर्ट करने हेतु सभी बैंकों को निर्देशित कर दिया गया है। इसी अनुक्रम में भारतीय स्टेट बैंक एवं पंजाब एण्ड सिंध बैंक द्वारा निम्नवत प्रगति से अवगत कराया गया है तथा अन्य बैंको द्वारा शून्य प्रगति सूचित की गयी है। **बैंक** | **खातों की संख्या** | **धनराशि (₹ करोड़ में)** एस.बी.आई. | 02 | 5.29 पी. एण्ड एस.बी. | 01 | 40.00
	(ज) वित्तीय वर्ष 2019-20 में वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत उन्हें आबंटित लक्ष्यों के सापेक्ष Sector-wise, विशेष रुप से कृषि क्षेत्र में (फसली ऋण एवं सावधि ऋण), लक्ष्य प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।	**(ज)** वित्तीय वर्ष 2019-20 में वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत उन्हें आबंटित लक्ष्यों के सापेक्ष Sector-wise निम्नवत प्रगति दर्ज की गयी है। (₹ करोड़ में) सेक्टर | लक्ष्य | उपलब्धि | % फार्म | 10385 | 2312 | 22 नॉन फार्म | 8031 | 3547 | 44 अन्य प्राथमिकता क्षेत्र | 3594 | 531 | 15 **कुल** | **22011** | **6391** | **29**
	(झ) प्राइवेट बैंक, सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं में ऋण वितरित कर, लक्ष्यों की प्राप्ति करना सुनिश्चित करेंगें।	**(झ)** प्राइवेट बैंकों के द्वारा सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं में ऋण वितरण मुख्यत: नैनीताल बैंक द्वारा ही किया जा रहा है तथा अन्य प्राइवेट बैंकों द्वारा ऋण वितरण की प्रगति शून्य है।
4.	**<u>अग्रणी जिला प्रबंधकों से संबंधित कार्य बिंदु</u> :** **(क)** पी.एम.ई.जी.पी. योजनांतर्गत बैंकों द्वारा निरस्त किए गए अधिक ऋण आवेदन पत्र विषयक, समस्त	**<u>अग्रणी जिला प्रबंधकों से संबंधित कार्य बिंदु</u> :** **(क)** पी.एम.ई.जी.पी. योजनांतर्गत बैंकों द्वारा निरस्त किए गए ऋण आवेदन पत्र के प्रमुख

अग्रणी जिला प्रबंधक अपने जिले में विभिन्न बैंकों द्वारा निरस्त किए गए **पाँच ऋण आवेदन पत्रों** की जाँच कर, निरस्त किए जाने के प्रमुख कारणों से राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को अवगत कराएंगे।

कारणों से निम्नवत अवगत कराया गया है।

(i) CIBIL स्कोर मानक से बहुत कम होना।

(ii) आवेदक पहले से ही व्यवसाय कर रहे हैं तथा वे स्थापित) इकाई (existing unit हेतु पुन: वित्तपोषण चाहते हैं, जब कि स्थापित इकाई अन्य बैंक से वित्तपोषित है।

(iii) योजनांर्गत वांछित दस्तावेज बैंक शाखाओं को उपलब्ध नहीं कराया जाना तथा औपचारिकताएं पूर्ण न करना।

(iv) अधिकांश इकाइयाँ आर्थिक रुप से व्यवहार्य नहीं हैं।

(v) आवेदकों ने ईडीपी द्वारा दिए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है।

(vi) अधिकांश आवेदक चूककर्ता (Defaulter) है।

(vii) अधिकांश आवेदकों ने पहले भी सरकार प्रायोजित ऋण योजना के अंतर्गत ऋण लिया हुआ है।

(viii) अधिकांश आवेदकों द्वारा ऋण हेतु बैंक शाखाओं से संपर्क नहीं किया गया है।

(ix) स्वीकृति पूर्व सर्वेक्षण करने पर diversion of fund observe किया जाना।

(ख) भारत सरकार की अपेक्षा के अनुरुप सभी अग्रणी जिला प्रबंधक अपने जिले में कृषि विभाग एवं बैंकों से समन्वय स्थापित करते हुए कैम्प मोड में शेष पात्र कृषकों को के.सी.सी. वितरण हेतु ऋण आवेदन पत्र Source करें।

(ख) अग्रणी जिला प्रबंधकों द्वारा अपने जिले में कृषि विभाग एवं बैंकों से समन्वय स्थापित करते हुए कैम्प मोड में अधिक से अधिक पात्र कृषकों को के.सी.सी. वितरित करने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा इस विषयक पूरे राज्य में **45 दिन** का **KCC Saturation Campaign** दिनांक **15.08.2019** से सभी जिलों में कैम्प लगाकर चलाया जाना है।

(ग - i) निम्न जिलों का ऋण-जमा अनुपात मार्च, 2019 त्रैमास की समाप्ति पर **40** प्रतिशत से कम रहा है, जिसे बढ़ाने हेतु अग्रणी जिला प्रबंधकों को संबंधित विभागों एवं बैंकों के साथ आपसी समन्वय स्थापित करते हुए समग्र प्रयास करने होंगे।

जिला	मार्च, 2019	जिला	मार्च, 2019
अल्मोड़ा	**25%**	रुद्रप्रयाग	**26%**
पौड़ी	**25%**	बागेश्वर	**30%**
टिहरी	**38%**	चम्पावत	**30%**

(ग - i) निम्न जिलों का ऋण-जमा अनुपात मार्च, 2019 त्रैमास के सापेक्ष जून, 2019 त्रैमास में निम्नानुसार रहा है।

जिला	जून 2019	जिला	जून, 2019
अल्मोड़ा	**24%**	रुद्रप्रयाग	**22%**
पौड़ी	**24%**	बागेश्वर	**30%**
टिहरी	**38%**	चम्पावत	**27%**

		मार्च, 2019 त्रैमास के सापेक्ष जून, 2019 त्रैमास में जमाओं (deposits) **में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि दर्ज होने के कारण ऋण-जमा अनुपात में कमी दर्ज हुई है।**
	(ग - ii) अग्रणी जिला प्रबंधक, **पौड़ी एवं अल्मोड़ा** अपने जिले के मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जिला विकास अधिकारी तथा रेखीय विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए जिलों का ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने हेतु क्षेत्रीय संभाव्यता के आधार पर विशेष रणनीति / कार्ययोजना बनाकर उसे क्रियान्वित करवाना सुनिश्चित करेंगे।	**(ग - ii)** अग्रणी जिला प्रबंधक, पौड़ी द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 21 जून, 2019 को आयुक्त गढ़वाल मण्डल, मुख्य विकास अधिकारी, रेखीय विभागों एवं बैंकों के साथ बैठक का आयोजन कर, जिले का ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने हेतु क्रमबद्ध कार्ययोजना बनाकर आवश्यक कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है। अग्रणी जिला प्रबंधक, अल्मोड़ा द्वारा अवगत कराया गया है कि जिले के मुख्य विकास अधिकारी के विभागीय व्यवस्तता के कारण बैठक का आयोजन संभव नहीं हो पाया है एवं दिनांक 16 अगस्त, 2019 के पश्चात ही कोई तिथि निर्धारित की जाएगी।
5	**<u>आरसेटी हेतु कार्य बिंदु :</u>** **(क)** सभी आरसेटी संस्थान Common Norm Certification (CNN) की पुष्टि ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखंड शासन को प्रेषित करें तथा अपने क्षेत्र विशेष में चल रही संभावित गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम की रुपरेखा तय कर, तदानुसार उनका अनुमोदन सक्षम स्तर से करवाएं। **(ख)** आरसेटी संस्थान प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले में संभावित रोजगारपरक गतिविधियाँ को शामिल करने की प्रक्रिया अपनाएं।	**<u>आरसेटी हेतु कार्य बिंदु :</u>** **(क)** सभी आरसेटी संस्थान Common Norm Certification (CNN) की पुष्टि ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखंड शासन को प्रेषित करने तथा संभावित गतिविधियों पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिससे संबंधित सूचना संबंधित आरसेटी संस्थानों से प्रतीक्षित है। **(ख)** आरसेटी संस्थानों द्वारा संभावित रोजगारपरक 61 गतिविधियों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल किया गया है।
6.	सभी बैंक नियंत्रक, 30 जून, 2019 की त्रैमासिक एस.एल.बी.सी. विवरणी **1-**48 पूर्णत: जाँच करने के उपरांत एस.एल.बी.सी. की वेबसाइट **www.slbcuttarakhand.com** पर सही एवं वास्तविक आँकड़े, **दिनांक 15 जुलाई, 2019** तक ऑन-लाइन प्रेषित करें। **(कार्रवाई - सभी बैंक)**	बैंकों द्वारा एस.एल.बी.सी. की वेबसाइट पर ऑन-लाइन डाटा **20 जुलाई, 2019** तक प्रेषित किए गए।

****